अध्याय VII

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन

7.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमई अधिनियम), 2006 अधिनियमित किया, जो जून 2006 से प्रभाव में आया। एमएसएमई अधिनियम 2006 के धारा 11 के अनुसार, केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में तथा एमएसएमई[67] द्वारा उपबंधित की गई नीतियों के संदर्भ में, आदेश द्वारा अधिसूचित कर सकती है, जिसका पालन उसके मंत्रालयों/विभागों/सहायता प्राप्त संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया जाना चाहिए। तद्नुरूप, केन्द्र सरकार ने, 'सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश के लिए सार्वजनिक खरीद नीति' अधिसूचित की जो 1 अप्रैल 2012 से प्रभाव में आई और 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गई।

नीति की मुख्य विशेषता निम्नानुसार है:

- प्रत्येक सीपीएसईज़ सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र से 20 *प्रतिशत* की वार्षिक खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। 01 अप्रैल 2015 से न्यूनतम 20 *प्रतिशत* के समग्र खरीदी लक्ष्य के साथ 20 *प्रतिशत* में से 4 *प्रतिशत* का उपलक्ष्य अनु जा/अजजा द्वारा अधिकृत एनएसई से खरीद के लिए चिन्हित करके रखना है।
- एमएसई बोली मूल्य L1+15 *प्रतिशत* मूल्य बैंड के अंतर्गत, यदि L1 एमएसई से भिन्न है तो L1 मूल्य पर संविदा मूल्य की 20 *प्रतिशत* आपूर्ति अनुमत की जा सकती है, यदि एमएसई द्वारा L1 तक मूल्य कम किया गया है।

---

[67] ***सार्वजनिक खरीद नीति केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर लागू थी।***

- सरकारी खरीद में एमएसई भागीदारी को बढ़ाने हेतु, सीपीएसईज़ एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता विक्रेता बैठक विशेषत: अजा/अजजा उद्यमियों के लिए संचालित करे।

7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इस तथ्य की जांच करना था कि क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधान प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित किये जा रहे है या नहीं।

7.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान इन सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के साथ अनुपालन की समीक्षा के लिए 18[68] केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) का नमूना चयन किया।

7.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड में 23 मार्च 2012 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिसूचित एमएसएमई (विकास) अधिनियम, 2006, सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 तथा विकास आयुक्त (डीसी (एमएसएमई)) के कार्यालय से समय-समय पर जारी परिपत्र/निदेश शामिल थे।

---

[68] *तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), राष्ट्रीय इसपात निगम लिमिटेड (राईट्स), नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), नूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (तेल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)*

7.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.5.1 एमएसई से अनिवार्य खरीद

सार्वजनिक नीति आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति आदेश, 2012 के खंड 3 के अनुसार, 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी सीपीएसईज़ को उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 *प्रतिशत* अनिवार्य रूप से एमएसई से क्रय करना है। नीति का खंड 4 उप लक्ष्य का 20 *प्रतिशत* (अर्थात कुल खरीद का 4 *प्रतिशत*) अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा अधिकृत एमएसई से खरीदने के लिए चिन्हित करता है।

18 चयनित सीपीएसईज़ में इस खंड के अनुपालन की जांच की गई और निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई:

क) विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने सभी सीपीएसईज़ को यह स्पष्ट किया (मार्च 2016) कि वर्ष में उनके द्वारा वर्ष के दौरान की गई कुल खरीद की गणना करते समय किसी भी मद की लागत को छोड़ा न जाऐं। इसके बावजूद भी, लेखापरीक्षा में जांचे गऐ 18 सीपीएसईज़ में से 9 ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुपालन में रिपोर्ट करते समय उनकी कुल वार्षिक खरीद के 27 से 96 *प्रतिशत* के बीच की विशिष्ट मदें[69] शामिल नहीं की जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

[69] ***सीपीएसईज़ द्वारा छोड़े गए आइटम ईंधन, इस्पात, सीमेंट, लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, बॉयलर कोयला, आयातित पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्री केंट, कम्प्रेसर, टरबाइन, बॉयलर, कन्वेयर बेल्ट, फर्नेल ऑयल आदि थे।***

तालिका: 7.1

एमएसई से अनिवार्य खरीद करने की रिपोर्ट करते समय शामिल नहीं की गई मदों का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

सीपीएसईज़ का नाम	2015-16			2016-17		
	2015-16 के दौरान की गई वार्षिक खरीद का वास्तविक कुल	कुल वार्षिक खरीद में शामिल नहीं की गई मदों/वस्तुओं का मूल्य	कुल खरीद में छोड़ी गई मदों का प्रतिशत	2016-17 के दौरान की गई वार्षिक खरीद का वास्तविक कुल	कुल वार्षिक खरीद में शामिल नहीं की गई मदों/वस्तुओं का मूल्य	कुल खरीद में छोड़ी गई मदों का प्रतिशत
एनटीपीसी	108414.29	103948.80	**95.88**	88527.70	84549.30	**95.50**
आरआईएनएल	10500.96	8994.69	**85.65**	10459.42	8310.57	**79.45**
एनएमडीसी	378.41	264.56	**69.91**	356.85	259.17	**72.62**
एसएआईएल	7750.98	4539.05	**58.56**	7431.53	4185.11	**56.31**
गेल	2793.74	777.74	**27.83**	4756.98	1618.20	**34.01**
बॉमर लॉरी	2253.66	2171.30	**96.34**	2438.04	2320.03	**95.15**
एनआरएल	6498.43	6076.23	**93.50**	6905.16	6447.32	**93.36**
आईओसीएल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24297.93	10787.56	**44.39**
एनएलसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	652.44	326.11	**49.98**

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराऐ गऐ रिकॉर्ड के अनुसार, सीपीएसईज़ में से छह ने उनकी कुल वार्षिक खरीद से मदों को शामिल न करने के लिए समीक्षा समिति से छूट मांगी थी। तथापि, जुलाई 2016 में समीक्षा समिति द्वारा केवल आरईएनएल को इस शर्त पर छूट प्रदान की गई कि आरआईएनएल शेष खरीद का न्यूनतम 35 से 40 *प्रतिशत* एमएसई से खरीदेगा, जिसके प्रति 2016-17 के दौरान आरआईएनएल केवल 25 *प्रतिशत* प्राप्त कर सका।

ख) शेष नौ सीसीएसई में से, छह सीपीएसईज़ (भेल, एचपीसीएल, एनएचडीसी, नाल्को, सीएसएल तथा बीपीसीएल) ने एमएसई से 20 *प्रतिशत* खरीद का लक्ष्य प्राप्त किया; जबकि तीन सीपीएसईज़ (ओएनजीसी, ओआईएल, सीआईएल) ने एमएसई से 5 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* खरीद की। यह भी देखा गया कि चयनित 18

सीपीएसईज़ में से कोई भी अजा/अजजा उद्यमियों से 4 *प्रतिशत* की वार्षिक खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

ग) नीति का खंड 3(4) में यह प्रावधान है कि सीपीएसईज़ जो एमएसई से वार्षिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेगी उन्हें सचिव, एमएसएमई मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति के समक्ष कारण प्रस्तुत करने होंगे। समीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त की संवीक्षा करने से पता चला कि जो सीपीएसईज़ खरीद लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही उनमें से किसी ने भी समीक्षा समिति के समक्ष कारण प्रस्तुत नहीं किऐ।

मदों को शामिल न करने के लिए सीपीएसईज़ द्वारा निम्नलिखित कारण बताऐ गऐ:

- मद जैसे स्टील, सीमेंट, फर्नेस, टर्बाईन, हीट एक्सचेंजर, एअर इनटेक सिस्टम, बॉयलर, फर्नेस, कन्वेयर बेल्ट आदि तथा खुदाई योग्य सामग्री जैसे लौह-अयस्क, बॉयलर कोयला, कोकिंग कोल, डोलोमाईट तथा चूना पत्थर एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं थे।
- ओईएम स्पेयर भी ओईएम से अनिवार्य रूप से खरीदे जाने है। इसके अतिरिक्त गेल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एमएसई से अनिवार्य 20 *प्रतिशत* खरीद की गणना करते समय शामिल न की मदों का मामला मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत है। तथापि, मंत्रालय की स्वीकृति प्रतीक्षित है। आईओसीएल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि तेल क्षेत्र सीपीएसईज़ में कुल खरीद में कच्चे तेल और तेल उत्पाद शामिल नहीं किऐ गऐ, जो कि चिन्हाकिंत थी और विभिन्न फोरा में स्वीकार्य थी जिसमें एमएसएमई तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि उनके पास सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत एमएसई से अनिवार्य खरीद के 20 *प्रतिशत* लक्ष्य और चार *प्रतिशत* का उपलक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाली ऐजेंसियों को दंडित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। डीसी (एमएसएमई) ने इस बात पर जोर दिया कि सीपीएसईज़ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा नियंत्रित होते है तथा एमएस द्वारा खरीद प्राप्त करने में असफल रहने पर, सीपीएसईज़ की रेटिंग डीपीई द्वारा घटा दी जाती है।

यद्यपि, नीति के प्रावधानों का अनुपालन न कर पाने के कारण 2015-16 के दौरान डीपीई ने 15 सीपीएसईज़[70] की एमओयू रेटिंग एक अंक कम कर दी, इससे सीपीएसईज़ के निष्पादन पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। इन 15 सीपीएसईज़ में से 2016-17 के दौरान 9[71] का निष्पादन खराब रहा।

सिफारिश: नीति के कार्यान्वयन में सीपीएसईज़ को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उनके प्रकाश में एमएसएमई मंत्रालय को नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

7.5.2 एमएसई इकाइयों को बकाया देय

एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अनुसार जहाँ कोई एमएसई आपूर्तिकर्ता क्रेता को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करता है, क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत हुई तारीख तक या पूर्व भुगतान क्रेता द्वारा कर देना चाहिए, किसी भी मामले में यह अवधि स्वीकारिता की तिथि से 45 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि कोई क्रेता आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में असफल रहता हे तो, क्रेता निश्चित दिवस से चक्रवर्ती ब्याज देने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, 4 सितम्बर 2015 की कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सभी सीपीएसईज़ के लिए यह अनिवार्य है कि वे एमएसई को व्यापार देयो के विवरण अपने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रस्तुत करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जांची गई 18 सीपीएसईज़ में से आठ के पास एमएसई विक्रेताओं को बकाया देय लंबित थे। 31 मार्च 2017 को, इस सीपीएसईज़ द्वारा देय राशि का निम्नतालिका में दर्शाया गया है:

---

[70] ***ओएनजीसी, भेल, सीआईएल, आईओसीएल, एनआरएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एनएचडीसी, गेल, ऑयल, सीएसएल, एनएमडीसी, एनएलसी और सेल (15 सीपीएसईज़)***

[71] ***ओएनजीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एनआरएल, एनटीपीसी, गेल, ऑयल, एनएमडीसी और सेल (09 सीपीएसईज़)***

तालिका: 7.2
एमएसई को बकाया देय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ का नाम	एमएसई को देय सीपीएसईज़ पर बकाया राशि (31 मार्च 2017 को)
1.	एनटीपीसी	347.98
2.	भेल	233.43
3.	आईओसीएल	46.72
4.	सेल	38.12
5.	ओएनजीसी	12.15
6.	एनएलसी	8.84
7.	बीपीसीएल	0.47
8.	बॉमर लॉरी	1.05
	कुल	**688.76**

- एनटीपीसी की बकाया राशि में एक वर्ष से कम (कम्पनी ने 45 दिनों से अधिक और एक वर्ष कम के लिए बकाया राशियों का ब्रेक उपलबध नहीं कराया) के लिए ₹ 243.18 करोड़ की बकाया राशि शामिल है; एक से तीन वर्षों के लिए ₹ 79.43 करोड़ बकाया, तीन वर्षों से अधिक के लिए ₹ 25.37 और ₹ 0.11 करोड़ ब्याज के प्रति बकाया थे।
- सेल, एनएलसी, बॉलॉरी, आईओसीएल तथा बीपीसीएल में 45 दिनों से अधिक बकाया राशि क्रमश: ₹ 6.46 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 0.11 करोड़ तथा ₹ 0.47 करोड़ है। बॉमर लॉरी की बकाया राशि में केवल ब्याज की राशि शामिल है।
- भेल और ओएनजीसी ने 45 दिनों से अधिक की बकाया राशि का ब्रेक उपलब्ध नहीं कराया।

लेखापरीक्षा ने पाया एमएसई का पंजीकरण न होना, अनुचित बिलिंग, प्रतिधारण धन और प्रतिभूति का जारी न किया जाना आदि बकाया राशि के कारण थे।

एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि सभी स्टेशन/परियोजनाओं को शर्तों के अनुसार एमएसई को भुगतान करने में शीघ्रता करने की सलाह दी गई है।

सिफारिश: एमएसएमई मंत्रालय को प्रक्रिया में आशोधन करने के लिए सीपीएसईज़ को निदेश देने चाहिए ताकि एमएसई को समयानुसार भुगतान किया जाऐ।

7.5.3 सीपीएसईज़ द्वारा संचालित विक्रेता विकास कार्यक्रम

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 9 में प्रावधान है कि सीपीएसईज़ द्वारा खरीद में अजा/अजजा अधिकृत सहित एमएसई में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता सम्मेलन संचालित करने चाहिए।

सीपीएसईज़ द्वारा कुछ विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किऐ गऐ। ओएनजीसी ने एमएसई हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जबकि बॉमर लॉरी ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तथा आरआईएनएल ने पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान केवल एक कार्यक्रम संचालित किया। यह देखा गया कि नीति आयोग की सलाह पर एक वित्त वर्ष में ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने के लिए, विशेषत: एक अजा/अजजा उद्यमी को शामिल करने के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित करने लिए डीसी (एमएसएमई) द्वारा निदेश जारी किये गये है। इन निदेशों के बावजूद, 18 सीपीएसईज़ में से आठ ने अजा/अजजा उद्यमियों के लिए कोई विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित नहीं किया।

डीसी (एमएसएमई) ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि समुचित विक्रेता विकसित करने के लिए सीपीएसईज़ को संवेदनशील बनाने हेतु समय-समय पर अनुस्मारक पत्र परिचालित किऐ गऐ है।

सिफारिश: मंत्रालय द्वारा विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु टर्नओवर वार न्यूनतम लक्ष्य शामिल करना चाहिए।

7.5.4 एमएसई को क्रय प्राथमिकता

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 6 में प्रावधान है कि टेंडर में सहभाग करने और L1+15 *प्रतिशत* के मूल्य बैंड के अंतर्गत मूल्य उद्धृत करने वाले एमएसई को L1 मूल्य पर ठेका आवश्यकता के भाग की आपूर्ति, जहाँ L1 विक्रेता एमएसई से भिन्न

है, की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे एमएससी को कुल टेंडर मूल्य के 20 *प्रतिशत* की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि 11 सीपीएसईज़ नामत: गेल, सीआईएल, नालको, बॉमर लॉरी, ओएनजीसी, बीपीसीएल एनएचडीसी, एनएलसी, सेल तथा ओआईएल ने इस खंड का अनुपालन किया। उपरोक्त वर्णित सीपीएसईज़ द्वारा खरीद प्राथमिकता खंड का पालन करने के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल 5553[72] एमएससी लाभान्वित हुऐ।

शेष सात सीपीएसईज़ में से, छह सीपीएसईज़ नामत: आईओसीएल, भेल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, आरआईएनएल तथा एनआरएल ने एमएसई को विक्रय प्राथमिकता के संबंध में जानकारी का रखरखाव नहीं किया जबकि एक सीएसएल ने इसे लागू नहीं किया।

7.5.5 गैर-एमएसई विक्रेता से आरक्षित मदों की खरीद

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का खंड 11 के अनुसार सीपीएसईज़ को एमएसई से 358 मदों की खरीद करनी है। उनकी प्रगति और वृद्धि को सहायता देने देने के लिए एमएसई से विशेष खरीद के लिए इन मदों को आरक्षित किया गया है। डीसी (एमएसएमई) ने एमएसई से विशेष रूप से खरीदने हेतु 350 मदों के लिए संबंधित आईटीसीएचएस कोड[73] उपलब्ध किये है।

इन पांच सीपीएसईज़ में रिकॉर्ड की नमूना जांच करने से पता चला कि 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान गैर- एमएसई विक्रेताओं से उन्होने आरक्षित मदों की भारी मात्रा खरीदी:

गेल ने ₹ 356.51 करोड़ की कीमत की आरक्षित मदें खरीदी जबकि आईओसीएल ने गैर-एमएसई विक्रेताओं से ₹ 100.12 करोड़ की राशि की आरक्षित मदें खरीदी।

भेल तथा एनटीपीसी ने भी गैर-एमएसई विक्रेताओं से आरक्षित मदों खरीदी।

---

[72] ***सीपीएसईज़ वार सं. एमएसई लाभांवित किए गए थे सेल-2971, ओएनजीसी-2132, एनएमडीसी-164, गेल-118, एनएचडीसी-116, एनएलसी-23, सीआईएल-11, बीपीसीएल-7, ऑयल-6, बाम लॉरी-3 और नालको-2***

[73] ***भारतीय व्यापार वर्गीकरण संतुलित प्रणाली संहिता***

यह देखा गया कि एनएचडीसी ने 350 आरक्षित मदों के आईटीसीएचएस कोड की पहचान करने हेतु ईआरपी सिस्टम आशोधित नहीं किया। ऐसी विशिष्ट पहचान का अथाव में, एमएसई विक्रेता से आरक्षित मदों की खरीद से खरीद कार्मिक के विशेषधिकार पर अननुपालन का जोखिम बढ़ जाएगा।

उनके उत्तरों में, सीपीएसईज़ ने गैर-एसएमई विक्रेताओं से आरक्षित मदों खरीदने के लिए निम्नलिखित कारण बताऐं:

- आवश्यक मदों के लिए एमएसई विक्रेता डाटाबेस अनुपलब्ध होना।
- 358 आरक्षित मदों की सूची जेनेरिक है और इस प्रकार, तकनीकी कारणो के कारण एमएसई से इतर विक्रेताओं से कभी कभी खरीदे गऐ।
- समीक्षा समिति को गैर-एमएसई विक्रेता से सूची गत मदों की खरीद की जानकारी देने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश: एमएसएमई मंत्रालय को सीपीएसईज़ को अजा/अजजा अधिकृत एमएसई सहित एमएसई विक्रेताओं की सूची उपलब्ध करानी चाहिए और नीति के कार्यान्वयन की सहूलियत के लिए आरक्षित मदों की सूची को और अधिक निदर्शी बनाना चाहिए।

7.5.6 शिकायत सेल की स्थापना

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 को खंड 13 सरकारी खरीद में एमएसई की शिकायतों के निवारण के लिए एमएसएमई मंत्रालय में शिकायत निवारण सेल की स्थापना का प्रावधान करता है। इस सेल का कार्य संबंधित विभागों या एजेंसियों के साथ एमएसई द्वारा उठाये गये सरकारी खरीद संबंधी मामलों को उठाना था।

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान डीसी (एमएसएमई) में कुल 2253 शिकायतें (250: इंटरनेट शिकायत निगरानी तंत्र, 193 सीपी ग्राम तथा 1810 पत्र) प्राप्त हुई। तथापि, इनमें से केवल तीन शिकायतें शिकायत सेल के माध्यम से पहुंची।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत और ई-मेल के द्वारा प्राप्त शिकायतों के विवरणों का डीसी (एमएसएमई) द्वारा रखरखाव नहीं किया गया। आईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में, यह देखा गया कि संबंधित जो

शिकायते सीपीएसईज़ द्वारा अग्रेषित की गई थी, उक्त शिकायतों पर संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा जी जाने वाली कार्यवाही निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि उसे पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया।

डीसी (एमएसएमई) ने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि शिकायत सेल द्वारा जिन शिकायतों पर निपटान करने की आवश्यकता थी वे निर्णय के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। सभी शिकायतों का निपटान शिकायत सेल द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि कुछ शिकायतें नियमित प्रकृति की थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ शिकायतें शिकायत सेल के माध्यम से नहीं आई थी यद्यपि गंभीर प्रकृति की शिकायतें निम्नलिखित उदाहरणों मे देखी जा सकती है:

- भारत संचार निगम लिमिटेड निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उन ठेकेदारो को अनुमत कर रहा था जो एमएसएमई (आईजीएमएस, शिकायत सं. सीजी 00001155, 14 सितम्बर 2016) में समुचित वर्ग में पंजीकृत नहीं थे।
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने एमएसई बोलीदाताओं को ईएमडी जमा कराने से छूट प्रदान नहीं की। (आईजीएमएस, शिकायत सं. सीजी 00001582, 8 नवम्बर 2016)।
- आईओसीएल के निविदाओ में महिला वर्ग के अंतर्गत पंजीकृत एमएसई को भाग लेने की अनुमति नहीं दी (आईजीएमएस, शिकायत सं. डब्ल्यूबी 00000049, मई 2016)।

सिफारिश: डीसी (एमएसएमई) को शिकायतों/व्यथा के अंतिम निष्कर्ष पर जानकारी का रखरखाव करना चाहिए।

7.5.7 अन्य मामलें

- सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय ने प्रत्येक सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया (अप्रैल 2012) कि नीति के कार्यान्वयन और शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। तथापि, मार्च 2017 तक, डीसी (एमएसएमई) द्वारा संपर्क किये गये 277 सीपीएसईज़ में से केवल 155 अर्थात 56 *प्रतिशत* ने ही नोडल अधिकारी नियुक्त

किये। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि सीपीएसईज़ को उपयुक्त नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के खंड 8 के अनुसार सीपीएसईज़ एमएसई से वार्षिक खरीद योजना तैयार करें और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करें। 18 चयनित सीपीएसईज़ की आधिकारिक वेबसाईट की संवीक्षा करने से पता चला कि, आठ सीपीएसईज़ (एनएलसी, आईओसीएल, आरआईएनएल, भेल, सेल, ओएनजीसी, बॉमर लॉरी तथा सीआईएल) ने एमएसई से वार्षिक खरीद योजना अपलोड नहीं की। अन्य तीन सीपीएसईज़ (एनएचडीसी, गेल तथा बीपीसीएल) ने 2016-17 तक की अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड की जबकि सीएसएल ने केवल 2013-14 तक की अपनी वार्षिक खरीद योजना अपलोड की थी।

- सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के खंड 5 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसईज़ को एमएसई से खरीद के संबंध में निश्चित लक्ष्यों की तथा उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में इन लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि रिपोर्ट देनी थी। रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि चयनित 18 सीपीएसईज़ में से, पांच (एनएमडीसी, सीएसएल, सीआईएल, ओएमजीसी तथा बॉमर लॉरी) ने उनकी संबंधित वार्षिक रिपोर्टों में न तो निर्धारित लक्ष्यों की और ना ही प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट दी। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि सीपीएसईज़ को नीति के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक खरीद नीति के अनुवर्ती कार्रवाई में डीसी (एमएसएमई) समस-समय पर सीपीएसईज़ से पत्राचार और उन्हें खरीद डाटा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। तथापि, यह देखा गया कि पहले तीन वर्षों अर्थात 2012-13 से 2014-15 में जब नीति अनिवार्य नहीं थी 39 से 48 *प्रतिशत* सीपीएसईज़ ने डीसी (एमएसएमई) को उत्तर दिया। 2015-16 से नीति के अनिवार्य हो जाने के बाद भी सीपीएसईज़ की प्रतिक्रिया में परिवर्तन नहीं आया। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कहा कि नीति के अंतर्गत, प्रतिवादी सीपीएसईज़ को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

- डीसी (एमएसएमई) द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार सीपीएसईज़ की कुल सं. 277 है। यह जानकारी, तथापि, अद्यतित नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ की संख्या 277 (31 मार्च 2013 तक) से बढ़कर 320 (31 मार्च 2016 तक) हो गई थी। डीसी (एमएसएमई) ने इसलिए, पिछले पांच वर्षों के दौरान नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी सीपीएसईज़ से संपर्क नहीं किया, यद्यपि यह 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गया है। डीसी (एमएसएमई) ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) में यह कहा कि सीपीएसईज़ की कुछ संख्या के संबंध में जानकारी सार्वजनिक उद्यम विभाग से एकत्रित की जा रही है। डीसी (एमएसएमई) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ की कुछ संख्या संबंधी वर्ष वार जानकारी सार्वजनिक उद्यम विभाग के वार्षिक सर्वेक्षण में उनकी आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध थी जो कि डीसी (एमएसएमई) को सहजता से प्राप्त हो सकती थी।

सिफारिश: एमएसएमई विभाग सीपीएसईज़ द्वारा नीति के अनुपालन को लागू करने के लिए समुचित प्रावधान सम्मिलित करें।

7.6 निष्कर्ष

सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 का लक्ष्य सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई से खरीद में तेज़ी लाना था। 18 सीपीएसईज़ के नमूना खरीद की संवीक्षा से पता चला कि इस नीति के वास्तविक कार्यान्वयन में कई कमियाँ थी। एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की निर्दिष्ट *प्रतिशत* खरीद नीति के अनुपालन की रिपोर्ट करते हुऐ नौ सीपीएसईज़ खरीद की प्रमात्रा शामिल नहीं कर रहे थे। लेखापरीक्षा में जांची गई कुछ सीपीएसईज़ ने एमएसई से खरीद का 20 *प्रतिशत* का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया। कोई भी सीपीएसईज़ अजा/अजजा उद्यमियों के एमएससी से खरीद का 4 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। कुछ सीपीएसईज़ में एमएसई को देय काफी बकाया जबकि ऐसे भुगतान 45 दिनों के अंदर किये जाने अनिवार्य है। एमएसई से खरीद के लिये निर्धारित मदे लेखापरीखा में नमूना जांच की गई चार सीपीएसईज़ द्वारा गैर एमएसई से खरीदी जा रही थी। कुछ विक्रेता विकास कार्यक्रम कुछ सीपीएसईज़ द्वारा संचालित किऐ गऐ। आठ सीपीएसईज़ ने एमएसई से वार्षिक खरीद योजना अपलोड नहीं की और पांच सीपीएसईज़ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एमएसई से खरीद के लक्ष्य और प्राप्ति की रिपोर्ट नहीं दी। डीसी

(एमएसएमई) द्वारा लक्षित सीपीएसईज़ की संख्या गलत (दिनांकित जानकारी होने के कारण) थी जबकि मंत्रालय द्वारा स्थापित शिकायत निवारण सेल ने खराब कार्य किया। गैर-शिकासत सीपीएसईज़ को दंडित करने के लिए नीति में प्रावधानों की कमी डीसी (एमएसएमई) द्वारा चिन्हित की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीई द्वारा अवनति (सीपीएसईज़ की एमओयू रेटिंग में घटौती के माध्यम से) नीति की गैर-कार्यान्वयन के प्रति प्रभावी निवारक के रूप में सिद्ध नहीं हो पाया।